

**संसदीय कार्य मंत्रालय**

मांग संख्या 71

संसदीय कार्य मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	...	7.60	7.60	...	7.47	7.47	...	8.92	8.92	...	10.48	10.48	
<b>पूँजी</b>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
<b>जोड़</b>	...	<b>7.60</b>	<b>7.60</b>	...	<b>7.47</b>	<b>7.47</b>	...	<b>8.92</b>	<b>8.92</b>	...	<b>10.48</b>	<b>10.48</b>	
1. सचिवालय - सामान्य सेवाएं	2052	...	7.60	7.60	...	7.47	7.47	...	8.92	8.92	...	10.48	10.48
<b>कुल जोड़</b>	...	<b>7.60</b>	<b>7.60</b>	...	<b>7.47</b>	<b>7.47</b>	...	<b>8.92</b>	<b>8.92</b>	...	<b>10.48</b>	<b>10.48</b>	

1. यह मांग संसद सदस्यों के सचिवालय स्टाफ के वेतन इत्यादि, पारस्परिक आधार पर संसदीय प्रतिनिधिमंडलों की विदेश यात्रा, विदेशी संसदीय प्रतिनिधिमंडलों की भारत यात्रा, युवा सांसद प्रतियोगिताओं के आयोजन एवं अन्य व्यय की व्यवस्था करती है।